मीरजापुर पुलिस

—प्रेस नोट—

दिनांकः 26.10.2026

थाना को0कटरा पुलिस द्वारा अनुमानित अंतरराष्ट्रीय कीमत ₹ 30 लाख की नाजायज हेरोइन के साथ 03 नफर अभियुक्त/अभियुक्ता गिरफ्तार, मौके से तस्करी में प्रयुक्त 03 अदद दो पहिया वाहन बरामद —

अपर्णा रजत कौशिक पुलिस अधीक्षक जनपद मीरजापुर द्वारा जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों के विरूद्ध कार्यवाही तथा अवैध मादक पदार्थों की तस्करी व बिक्री पर अंकुश लगाते हुए तस्करी में संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं प्रभावी कार्यवाही करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षगण को निर्देश दिये गये हैं।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में आज दिनांकः27.10.2026 को थाना को0कटरा पुलिस टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी। अपर पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी नगर के नेतृत्व में थाना को0कटरा पुलिस टीम देखभाल क्षेत्र तथा संदिग्ध व्यक्ति/वस्तु/वाहन चेकिंग में मामूर थी कि इसी दौरान नटवीर चौराहे से नटवां कब्रिस्तान की तरफ जाने वाले मार्ग से 03 नफर अभियुक्त/अभियुक्ता 1.सौरभ मिश्रा उर्फ पुष्कर पुत्र घनश्याम निवासी देवरी आमघाट थाना को0देहात, मीरजापुर, 2.सैफ अली पुत्र इम्तियाज निवासी बर्जी मुकुंदपुर थाना पड़री जनपद मीरजापुर व 3.पूजा तिवारी पुत्री श्रीचन्द उर्फ पप्पू निवासी लोहंदी रोड थाना को0देहात जनपद मीरजापुर को गिरफ्तार किया गया। जिनके पास से कुल 152 ग्राम नाजायज हेरोइन, एक अदद छोटा इलेक्ट्रानिक तराजू व 78 अदद प्लास्टिक की खाली पन्नी बरामद किया गया तथा मौके से तस्करी में प्रयुक्त 03 अदद दो पहिया वाहन (स्कूटी वाहन सं0-UP63BL4330, स्कूटी वाहन सं0-UP63BE2264 व मोटरसाइकिल वाहन संख्या UP63AZ8627) भी बरामद किया गया। उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना को0कटरा पर मु0अ0सं0-328/2026 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत कर नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुए गिरफ्तार अभियुक्त/अभियुक्ता को मा0न्यायालय/जेल भेजा गया तथा मादक पदार्थों की तस्करी में प्रयुक्त तीनों दो पहिया वाहनों को अन्तर्गत धारा 207 एमवी एक्ट में सीज किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त/अभियुक्ता द्वारा पूछताछ में बताया गया कि हम लोग हेरोइन की छोटी छोटी पुडिया बना रहे थे जिसे स्कूटी व मोटरसाइकिल से लेकर आपपास घूम घूमकर बेचते, जिससे अच्छी खासी कमाई हो जाती है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त/अभियुक्ता —

1.सौरभ मिश्रा उर्फ पुष्कर पुत्र घनश्याम निवासी देवरी आमघाट थाना को0देहात, मीरजापुर, उम्र करीब-25 वर्ष।

2.सैफ अली पुत्र इम्तियाज निवासी बर्जी मुकुंदपुर थाना पड़री जनपद मीरजापुर, उम्र करीब-31 वर्ष।

3.पूजा तिवारी पुत्री श्रीचन्द उर्फ पप्पू निवासी लोहंदी रोड थाना को0देहात जनपद मीरजापुर, उम्र करीब-28 वर्ष।

विवरण बरामदगी —

कुल 152 ग्राम नाजायज हेरोइन।

एक अदद छोटा इलेक्ट्रानिक तराजू व 78 अदद प्लास्टिक की खाली पन्नी।

तस्करी में प्रयुक्त 03 अदद दो पहिया वाहन(स्कूटी वाहन सं0-UP63BL4330, स्कूटी वाहन सं0-UP63BE2264 व **मोटरसाइकिल वाहन संख्या UP63AZ8627)**

पंजीकृत अभियोग —

मु0अ0सं0-328/2026 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना को0कटरा मीरजापुर।

आपराधिक इतिहास —

(अभियुक्ता पूजा तिवारी उपरोक्त -)

1.मु0अ0सं0-123/2024 धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट थाना को0शहर मीरजापुर।

2.मु0अ0सं0-259/2025 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना चुनार मीरजापुर।

3.मु0अ0सं0-189/2026 धारा 8/21/25/29 एनडीपीएस एक्ट थाना को0देहात मीरजापुर।

(अभियुक्त सौरभ मिश्रा उपरोक्त-)

1.मु0अ0सं0-79/2026 धारा 8/20/29 एनडीपीएस एक्ट थाना पड़री मीरजापुर।

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम —

निरीक्षक नीरज कुमार पाठक, प्रभारी निरीक्षक को0कटरा, मीरजापुर।

उपनिरीक्षक कृष्णकांत त्रिपाठी चौकी प्रभारी नटवां, थाना को0कटरा, मीरजापुर।

मुख्य आरक्षी हरिकेश यादव, अक्षय यादव, राघवेन्द्र सिंह, ज्ञानेन्द्र सिंह व परवेज अंसरी, को0कटरा, मीरजापुर।

महिला आरक्षी सविता पटेल व शीलम वर्मा, को0कटरा, मीरजापुर।

